

संचालनालय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छ.ग.

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं. सी, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक / न-3-1 / कै.ले.प्र. / 2020 / 328 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05 / 04 / 2022

प्रति,

बीमा चिकित्सा पदाधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
प्रभारी समस्त केन्द्र।

विषय :- बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर सेकेण्डरी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- 1. श्रम विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2015 / 16 दिनांक 31.03.2018
2. श्रम विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2015 / 16 दिनांक 05.04.2018
3. श्रम विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2015 / 16 दिनांक 10.06.2020

---00---

छ.ग. शासन श्रम विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2015 / 16 दिनांक 31.03.2018 एवं पत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2015 / 16 दिनांक 05.04.2018 तथा पत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2015 / 16 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा बीमित हितग्राहियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस आधार पर सेकेण्डरी केयर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई है।

श्रम विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमित हितग्राहियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस आधार पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु 54 निजी चिकित्सालयों को कैशलेस सेकेण्डरी केयर चिकित्सा उपचार हेतु सहमति दी गई है। उक्त के अतिरिक्त **श्वेता मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल कोरबा** को सी.जी.एच.एस. दर पर कैशलेस आधार पर सेकेण्डरी केयर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कैशलेस आधार पर जॉच पश्चात् सी.जी.एच.एस. द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा तथा दावा प्रस्तुत करते समय सी.जी.एच.एस. द्वारा निर्धारित कोड़ संख्याओं का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

बीमा चिकित्स पदाधिकारी
(प्रथम श्रेणी)
संचालनालय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्रमांक/न-3-1/कै.ले.प्र./2020/329 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05/04/2022
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शारान श्रम विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. श्वेता मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

बीमा चिकित्स पदाधिकारी
(प्रथम श्रेणी)
संचालभालय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
नवा रायपुर अटल नगर